न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—100/2016 (2016/00089) वाद पत्र

उनवान

1—देवीलाल पिता रामा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—नारायणसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—तहसीलदार सा. एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादी
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 05.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित साबिक आ.सं. 1013 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमी संवत् 2022 से 2025 में भीम सिंह, राम सिंह पिता किशन सिंह राजपूत के नाम उसकी अन्य आराजी के साथ दर्ज रेकॉर्ड थी। उक्त साबिक आ.सं. 1013 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमी में से वादी के दादा नाथु पिता धन्ना जाट ने भीमसिंह राम सिंह से एक बिघा आठ बिस्वा भूमी जरिए विक्रयपत्र के दिनांक 24.12.1966 को तादादी 99/—रुपए में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा नामान्तरणकरण संख्या 180 दिनांक 03.12.1967 को वादी के दादा नाथुजी के नाम जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया। प्रमाण में विक्रय पत्र, नामान्तरण व जमान्दी संवत् 2022 से 2025 व नक्शा ट्रेस की नकले वाद पत्र के साथ पेश की हैं। वादी के दादा नाथु व उसके पश्चात् वादी उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर क्रय करने के बाद से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। उक्त क्रय शुदा भूमि साबिक आराजी संख्या 1013 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से प्रतिवादी के पूर्वज भीमसिंह, रामसिंह ने वादी के दादा को 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि का कब्जा रास्ते से लगता हुआ प्रतिवादी की शेष आराजी के पश्चिमी दिशा में वादी की आराजी से लगता हुआ दिया था तथा वर्तमान मे भी वादी तथा उसके दादाजी पचास वर्षो से उसी जगह काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं वादी के दादाजी द्वारा भूमि क्रय करने के बाद उसके नये नम्बर 1013/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व प्रतिवादी की शेष भूमि के नये नम्बर 1013/1 रकबा 14 बिस्वा कायम किये गये परन्तु उक्त नम्बरों को राजस्व नक्शे में अंकित नहीं किया गया है। प्रतिवादी की शेष आराजी वादी की आराजी के पूर्व दिशा में भी तथा वही पर उनका कब्जा चला आ रहा है। वादी अपने पूर्वजों के समय से साबिक आराजी संख्या 1013/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पर रास्ते से लगती हुई पश्चिमी भाग पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में काबिज है तथा अपने हिस्से पर दीवार बना रखी है। परन्तु ग्राम खेमाणा मे भू—प्रबन्ध होने से वादी की साबिक आराजी संख्या 1013/2 के नवीन नम्बर 2308 रकबा 0.27 है0 व प्रतिवादी की आराजी संख्या 1013/1 के नवीन नम्बर 2309 रकबा 0.15 [illegible] किए गए प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल की नकल नवीन जमाबन्दी व नया नक्शा ट्रेस [illegible] के साथ पेश की है। भू—प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादी [illegible]यात के [illegible] नम्बर व रकबा तो सही कायम किया परन्तु नवीन नक्शे में वादी की नवीन आराजी संख्या 2308 का उसको मौके की [illegible] के विपरीत तरमीम कर दिया जबकि वादी मौके पर पचास वर्षो से [illegible]वादी की आराजी सं[illegible]09 व 2308 के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण काबिज है। परन्तु भू—प्रबन्ध विभाग ने मौके की स्थिति के विपरीत वादी की आराजी संख्या 2306 को प्रतिवादी की आराजी संख्या 2309 के दक्षिण में दर्ज कर दिया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:56 IST
Reason: SelfAttested

व प्रतिवादी की आराजी संख्या 2309 को आराजी संख्या 2308 के उत्तर में दर्ज कर दिया गया है। जो गलत होकर अवैध है। भू–प्रबन्ध विभाग को मौके की स्थिति के विपरीत नवीन नक्शे में तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं था। जिससे वादी की नवीन आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 को मौके पर कब्जा अनुसार नवीन नक्शे में आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 व आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 में से 0.27 है0 रकबा बनाते हुए उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में रास्ते से लगती हुई दर्ज करने तथा प्रतिवादी की आराजी संख्या 2309 को नवीन नक्शे में मौके पर कब्जे अनुसार आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 व आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 में से 0.15 है0 भूमि का रकबा बनाते हुए वादी की आराजी के पूर्व दिशा में दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाये। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की आराजी संख्या 2308 को मौके की स्थिति के विपरीत नवीन नक्शे में दर्ज कर देने से व प्रतिवादी की आराजी संख्या 2309 को वादी की भूमि की जगह दर्ज कर देने से प्रतिवादी नाजायज फायदा उठाकर वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर उसे विक्रय करने पर आमादा हो रहे है। वादी द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि पर लाखो रूपये की लागत लगाकर उसे उपजाउ बनाया है परन्तु प्रतिवादी की नियत में फितुर आने से प्रतिवादी उक्त वादग्रस्त आराजी को रहन बय बक्षीस करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावे कि ग्राम खेमाणा की नवीन आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 को उसकी मौके की स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 व आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 मे से 0.27 है0 को उत्तर से दक्षिण रास्ते से लगती हुई पश्चिमी दिशा में दर्ज करने व आराजी संख्या 2309 को उसकी मौके की स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 व आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 मे से 0.15 है0 भूमि वादी की आराजी संख्या 2308 के पूर्व दिशा में दर्ज करने की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिकी जारी फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 तदनुसार नवीन नक्शे में अमल दरामद करे साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण मौके पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करवायें तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण आराजी संख्या 2309 को नवीन नक्शे में गलत दर्ज होने से वादी को बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः वादी को कब्जा दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 31.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने कोई जवाब प्रस्तुत नही कर वादी द्वारा प्रकरण में कमिश्नर नियुक्त कर उभयपक्षो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट पेश करे मौका कि स्थिति अनुसार दुरस्त करने में सहमति व्यक्त की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार रायपुर मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अकंन किया कि ग्राम खेमाणा की साबिक आराजी संख्या 1013 रकबा 2 [illegible] बिस्वा मे से 1 बीघा 8 भूमि वादी के दादाजी नाथु पिता धन्ना जाट ने प्रतिवादी [illegible] राजपूत के पिता एवं बड़े पिता भीमसिंह रामसिंह पिता किशनसिंह राजपूत से [illegible] विक्रयपत्र के दिनांक 24.12.66 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। आराजी संख्या 1013/2 के नवीन नम्बर 2308 रकबा 0.27 है0 व प्रतिवादी की आराजी संख्या 1013/1 के नवीन नम्बर 2309 रकबा 0.15 है0 कायम किए गए। आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 मे से 0.17 है0 उत्तर पश्चिम दिशा में वादी का छोड़ते हुए उत्तर पूर्व दिशा में रकबा 0.10 है0 प्रतिवादी के नाम व आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 मे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:56 IST
Reason: SelfAttested

0.05 है0 दक्षिण पूर्व दिशा में प्रतिवादी के छोड़ते हुए शेष रकबा 0.10 है0 उत्तर पश्चिम दिशा में वादी का कब्जा होकर मौके पर थोहर की बाड़ लगी हुई है। मौके की कब्जा स्थिति का नजरी नक्शा संलग्न है।

वाद के समर्थन में वादी अधिवक्ता द्वारा साबिक नक्शा एवं विक्रय पत्र एवं नामान्तकरण एवं साबिक जमाबन्दी की नकले पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार से प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ताओ को कराया गया जिसमें विपक्षी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में विपक्षी को उपस्थित कर प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट में अकिंत मौका स्थिति का अवलोकन करा अवगत कराया गया जिस पर विपक्षी श्री नारायणसिंह द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट में अकिंत आराजी संख्या 2309 एवं 2308 के उत्तरी पूर्वी तरफ अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व की तरफ दोनो आराजियात को मिलाते हुए 0.15 है0 पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया एवं विपक्षी से पश्चिम की तरफ दोनो आराजियात को मिलाते हुए 0.27 है0 वादी का कब्जा होना स्वीकार किया और इसी बात से सहमत होते हुए प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 11.12.2019 पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वाद वर्णित साबिक आराजी संख्या 1013 रास्ते से लगती हुई उत्तर दक्षिण स्थित थी जिसमें वादी द्वारा अपनी आराजी से लगती हुई उत्तर से दक्षिण भूमि खरीदी गई और उसी अनुसार खरीद समय से ही काबिज होना पाया गया किन्तु नवीन भू प्रबन्ध के दौरान वादी की आराजियात 2308 बनाई गई और प्रतिवादी की आराजी संख्या 2309 कायम की गई दोनो आराजियात का रकबा भू प्रबन्ध के द्वारा साबिक के मुकाबले सही दर्ज किया गया है किन्तु नक्शे में तरमीम के दौरान वादी की नवीन आराजियात 2308 को रास्ते से दुर दक्षिण की ओर दर्ज करते हुए रास्ते के पास प्रतिवादी की आराजी संख्या 2309 को दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का कब्जा 2308 व 2309 दोनो पर पश्चिम की तरफ रास्ते से लगता हुआ एवं इन्ही दोनो आराजियात के पूर्व की ओर प्रतिवादी का कब्जा है। उक्त कब्जे को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद नही है स्वयं प्रतिवादी आराजी संख्या 2309 के पश्चिम भाग पर वादी की आराजियात से कब्जा होना स्वीकार करता है इसी तरह वादी स्वयं भी आराजी संख्या 2308 के पूर्वी भाग पर प्रतिवादी का कब्जा होना स्वीकार करता है। कब्जे को लेकर मौके पर कोई विवाद नही है निर्विवाद रूप से दोनो पक्ष अपने अपने खातेदारी की सीमा तक काबिज है ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का खेमाणा के राजस्व ग्राम खेमाणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 मे से 0.10 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी तरफ प्रतिवादी नारायणसिंह पिता अभयसिंह राजपूत के नाम एवं आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 मे से 0.10 है0 भूमि रास्ते से उत्तर दक्षिण की ओर आराजी संख्या 2307 के लगती हुई वादी देवीलाल पिता रामा जाट के नाम (इस प्रकार आराजी संख्या 2308 मे से 0.17 है0 व 2309 मे से 0.10 है0 कुल 0.27 है0 भूमि वादी के नाम व आराजी संख्या 2308 मे से 0.10 है0 व 2309 मे से 0.05 है0 कुल 0.15 है0 भूमि का पूर्वी भाग प्रतिवादी के नाम) दर्ज की जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:56 IST
Reason: SelfAttested

05.08.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–100/2016 (2016/00089) वाद पत्र

उनवान

1–देवीलाल पिता रामा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–नारायणसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–तहसीलदार सा. एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का खेमाणा के राजस्व ग्राम खेमाणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2308 रकबा 0.27 है0 मे से 0.10 है0 भूमि उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी तरफ प्रतिवादी नारायणसिंह पिता अभयसिंह राजपूत के नाम एवं आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 मे से 0.10 है0 भूमि रास्ते से उत्तर दक्षिण की ओर आराजी संख्या 2307 के लगती हुई वादी देवीलाल पिता रामा जाट के नाम (इस प्रकार आराजी संख्या 2308 मे से 0.17 है0 व 2309 मे से 0.10 है0 कुल 0.27 है0 भूमि वादी के नाम व आराजी संख्या 2308 मे से 0.10 है0 व 2309 मे से 0.05 है0 कुल 0.15 है0 भूमि का पूर्वी भाग प्रतिवादी के नाम) दर्ज की जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.08.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

05/08/2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:56 IST
Reason: SelfAttested